ई-मेल : "कांग्रेस"
E-mail : mpcongress@gmail.com
www.mpcongress.com

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
भोपाल

कार्यालय - 0755-2551512
0755-2555452
फैक्स - 0755-2577981

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी

इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462 016 (म.प्र.)

राकेश सिंह यादव
महासचिव
म.प्र. कांग्रेस कमेटी, भोपाल

दिनांक 7/02/2025

प्रति,
श्रीमान लोकायुक्त महोदय,
लोकायुक्त कार्यालय,
मध्य प्रदेश,भोपाल.

विषयः- इंदौर में शासकीय भूमि पर बने यशवंत क्लब(क्रिकेट क्लब) के संदर्भ में घोर अनियमितताओं की जाँच हेतु फर्म एंव सोसायटी तथा आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध एफ़आइआर दर्ज करने बाबद शिकायत।

महोदय,

उल्लेखनीय विषय में निवेदन हैं की शासकीय भूमि पर मात्र 6/- वार्षिक लीज पर आवंटित भूमि पर स्थापित यशवंत क्लब इंदौर में फर्म एंव सोसायटी विभाग तथा आबकारी विभाग ने गंभीर अनियमितता करके अवैध अनुमतियाँ देने के खिलाफ संबंधित अधिकारियों
गंभीर अनियमितताओं की जांच सहित निम्न बिंदुओं अनुसार प्रकरण दर्ज करके जाँच करायी जाए।

(1) फर्म एंव सोसायटी के अधिकारियों में यशवंत क्लब का रजिस्ट्रेशन खेल संस्था के रूप में करने के पश्चात अवैध और असंवैधानिक तरीके से नियमों का उल्लंघन करके खेल संस्था को शराबख़ाना खोलने की लिखित अनुमति दी हैं। जबकि संविधान और शासन के नियमों का खुला उल्लंघन हैं। खेल के

पत्राचार पताः- जी-4,आकाश अपार्टमेंट ओल्ड पलासिया,इंदौर (म.प्र.)
मो. न. 90980 00009, 90980 00004
Rakeshsingghyadavindore
rky0009@gmail.com
@singghyadav

ई-मेल : "कांग्रेस"
E-mail : mpcongress@gmail.com
www.mpcongress.com

कार्यालय - 0755-2551512
0755-2555452
फैक्स - 0755-2577981

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462 016 (म.प्र.)

राकेश सिंह यादव
महासचिव
म.प्र. कांग्रेस कमेटी, भोपाल

दिनांक..................

लिए रजिस्टर्ड संस्था यशवंत क्लब को लिखित रूप से फर्म एंव सोसायटी के अधिकारियों द्वारा देने एंव वर्तमान फर्म एंव सोसायटी के पदस्थ अधिकारी द्वारा अवैध अनुमति निरस्त नहीं करने को खिलाफ वर्तमान एंव पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज करके कार्यवाही की जायें। यह सर्विस नियमों के विपरीत आचरण हैं।

(2) यशवंत क्लब में फर्जी शैल कंपनियों के माध्यम से सदस्यता की जानकारी फर्म एंव सोसायटी से छिपाई गई हैं। फर्म एंव सोसायटी के अधिकारियों में मिलीभगत करके सारा अवैध सदस्यता का खेल करके करोड़ों का घोटाला किया गया। इसलिए तत्काल यशवंत क्लब का रजिस्ट्रेशन निरस्त करके फर्म एंव सोसायटी के जिम्मेवार अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए।

(3) इंदौर आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि पर खेल के आवंटित भूमि पर शराबख़ाना खोलने का लायसेंस दिया। जबकि खेल के लिए रजिस्टर्ड संस्था को शराब का लायसेंस देने का प्रावधान ही नहीं हैं। संस्था के बॉयलॉज में शराबख़ाना का लायसेंस लेने और कमर्शियल गतिविधियों को करने का नियम ही नहीं हैं। इसके पश्चात भी आबकारी विभाग के संरक्षण में असंवैधानिक शराबख़ाना यशवंत क्लब में संचालित हो रहा हैं। वर्तमान आबकारी अधिकारी के साथ पूर्व के अधिकारियों पर गलत अनुमति देने के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज होना चाहिए

(4) आबकारी विभाग द्वारा शराबख़ाने का लायसेंस देने बाद पिछले 30

पत्राचार पता:- जी-4,आकाश अपार्टमेंट ओल्ड पलासिया,इंदौर (म.प्र.)
मो. न. 90980 00009, 90980 00004
Rakeshsingghyadavindore
rky0009@gmail.com
@singghyadav

ई-मेल : "कांग्रेस"
E-mail : mpcongress@gmail.com
www.mpcongress.com

कार्यालय - 0755-2551512
0755-2555452
फैक्स - 0755-2577981

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी

इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462 016 (म.प्र.)

राकेश सिंह यादव
महासचिव
म.प्र. कांग्रेस कमेटी, भोपाल

दिनांक..................

साल में एक बार भी नियमित जाँच विधिवत नहीं करना यह सिद्ध करता हैं की आबकारी विभाग की भूमिका संदिग्ध हैं। जबकि आम शराबख़ानों की नियमित जाँच और रेड होती हैं।

कार्ड रूम की अनुमति देने के बाद आज तक ये जाँच पिछले 30 साल में नहीं की गई की कार्ड रूम में पैसों से जुआ खेला जा रहा हैं या नहीं खेला जा रहा हैं। क्योंकि जुआ संविधान अनुसार प्रतिबंधित हैं। फर्म एंव सोसायटी को आज क शराबख़ाने और कार्ड रूम की अनुमति लेने की सूचना नहीं हैं।

अतः निवेदन हैं की उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके सख्त कार्यवाही करें।

दिनांकः-7/02/2025

द्वाराः-

राकेश सिंह यादव

पूर्व महासचिव

म.प्र.कांग्रेस कमेटी

पत्राचार पताः- जी-4,आकाश अपार्टमेंट ओल्ड पलासिया,इंदौर (म.प्र.)
मो. न. 90980 00009, 90980 00004
Rakeshsingghyadavindore
rky0009@gmail.com
@singghyadav